कार्यालय, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/C/4111/समन्वित विद्या.समीक्षा/पुनः संचालन/2019/341 दिनांक : 18/10/2022

आदेश

शासन उप सचिव, प्रा.शि. (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक : प. 17(3)प्राशि/आयो./एकी.मु./2022 जयपुर, दिनांक : 27.09.2022 के सन्दर्भ में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हमीरपुर कलां, ग्रा.पं. हमीरपुर, ब्लॉक खण्डेला, जिला सीकर में समन्वित किये गये **राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी चौपडान (डाईस कोड : 08130602108), ग्रा.पं. सुजाना, ब्लॉक खण्डेला, जिला सीकर को तत्काल समन्वय से मुक्त कर पुनः संचालित किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्ताधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है** :–

1. विद्यालय सत्र 2022–23 से प्रारम्भ किया जायेगा ।
2. विद्यालय प्रारम्भ करने के लिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 15 का नामांकन एवं सुरक्षित भवन की उपलब्धता होने पर ही विद्यालय प्रारम्भ किया जा सकेगा ।
3. पर्याप्त नामांकन होने पर प्राथमिक विद्यालय के लिए अध्यापक (लेवल–1) के 2 पद प्रारम्भिक शिक्षा में उपलब्ध आरक्षित पदों में से आवंटित किये जायेंगे ।
4. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक : 28.05.19 द्वारा स्टाफिंग पैटर्न के तहत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ के पदों का आवंटन रिजर्व पदों में से किया जायेगा, इस हेतु पृथक से अतिरिक्त पदों की स्वीकृति जारी नहीं की जायेगी ।
5. पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बालक–बालिकाओं को नजदीक के विद्यालय में प्रवेश दिलवाया जाकर ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम का लाभ दिया जायेगा एवं ऐसे विद्यालयों का पुनः संचालन नहीं किया जावे ।
6. यदि समन्वित विद्यालय का भवन किसी अन्य उपयोग में लिया जा रहा है तो उसको रिक्त करवा कर, डी–मर्ज किये जाने वाले उक्त विद्यालय को उसी भवन में संचालित किया जायेगा ।
7. यदि विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है तो उसकी परीक्षण करवाया जाकर भवन के सुरक्षित होने की स्थिति में होने पर ही विद्यालय प्रारम्भ करवाया जायेगा ।

(गौरव अग्रवाल)
I.A.S.
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं
पं.राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, शिक्षा (प्रारम्भिक/माध्यमिक/संस्कृत), कला साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदया, कार्यालय राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मुद्रण एवं लेखन सामग्री (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक), कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

P.T.O.

4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
5. राज्य परियोजना निदेशक महोदय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर ।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
7. निजी सचिव, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा ।
8. जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।
9. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. स. लेखाधिकारी, बजट अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
11. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, ... ।
12. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ... ।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा, ... को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आप जिला कलक्टर महोदय से व्यक्तिशः सम्पर्क कर समन्वय स्थापित करते हुए भूमि आवंटन कराया जाना सुनिश्चित करें । अगर विद्यालय के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध है तो इस सम्बन्ध में सूचना जिला कलक्टर महोदय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।
14. सहायक निदेशक, सामान्य प्रशासन अनुभाग/शिक्षक संस्थापन/शाला दर्पण (प्रा.शि.)/ मॉनिटरिंग अनुभाग, कार्यालय हाजा ।
15. कम्प्यूटर एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

(अशोक सांगवा)
R.A.S.
अति. निदेशक (प्र.)
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर